मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 41)

[5 सितंबर, 2005]

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

1936 का 4

धारा 1 का संशोधन।

2. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 में, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(6) यह अधिनियम किसी मजदूरी-कालावधि के संबंध में नियोजित किसी व्यक्ति को संदेय मजदूरी को लागू होता है यदि उस मजदूरी-कालावधि के लिए ऐसी मजदूरी छह हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास से या ऐसी अन्य उच्चतर धनराशि से अधिक नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर, प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।"

कतिपय पदों के प्रति निर्देशों के स्थान पर अन्य पदों का प्रतिस्थापन।

3. संपूर्ण मूल अधिनियम में, जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" और "राज्य सरकार" पदों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "समुचित सरकार" पद रखा जाएगा और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन जो व्याकरण के नियमों के अनुसार अपेक्षित हों, भी किए जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (i), खंड (iक) और खंड (iख) को क्रमशः खंड (iक), खंड (iख) और खंड (iग) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (iक) के पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(i) रेल, वायु परिवहन सेवाओं, खानों और तेल क्षेत्रों के संबंध में, "समुचित सरकार" से केन्द्रीय सरकार और अन्य सभी मामलों के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है;';

(ख) खंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(v) "रेल प्रशासन" का वही अर्थ है जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (32) में है;'। 1989 का 24

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायित्व।

"3. (1) प्रत्येक नियोजक, अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन संदत्त की जाने के लिए अपेक्षित सब मजदूरी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा और,—

(क) कारखानों में नियोजित व्यक्तियों की दशा में, यदि कोई व्यक्ति कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है; 1948 का 63

(ख) औद्योगिक या अन्य स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों की दशा में, यदि औद्योगिक या अन्य स्थापनों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए कोई व्यक्ति नियोजक के प्रति उत्तरदायी है;

(ग) (कारखानों को छोड़कर) रेल में नियोजित व्यक्तियों की दशा में, यदि नियोजक रेल प्रशासन है और रेल प्रशासन ने संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लिए इस निमित्त किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर दिया है;

(घ) ठेकेदार की दशा में, यदि ऐसे ठेकेदार द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जो सीधे उसके भारसाधन के अधीन है, अभिहित किया गया है; और

(ङ) किसी अन्य दशा में, यदि नियोजक द्वारा अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को अभिहित किया गया है,

तो, यथास्थिति, इस प्रकार नामित व्यक्ति, नियोजक के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या इस प्रकार अभिहित व्यक्ति, ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियोजक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह, ठेकेदार या नियोजक द्वारा अभिहित व्यक्ति के ऐसा संदाय करने में असफल रहने की दशा में, इस अधिनियम के अधीन संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित सब मजदूरी का संदाय करे।"।

धारा 7 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में, "भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 की उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "रेल अधिनियम, 1989" शब्द और अंक रखे जाएंगे; 1890 का 9 1989 का 24

1246LW

1922 का 11 1961 का 43 (ख) उपधारा (2) के खंड (झ) में, भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 58क में" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (38) में" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

1890 का 9 1989 का 24 (ग) उपधारा (4) में, "जो भारतीय रेल अधिनियम, 1890" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "जो रेल अधिनियम, 1989" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (6) में, "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर, "नब्बे दिन" शब्द रखे जाएंगे । धारा 8 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 15 में,— धारा 15 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) समुचित सरकार,—

(क) किसी कर्मकार प्रतिकर आयुक्त को; या

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को जो,—

(i) प्रादेशिक श्रम आयुक्त के रूप में कृत्य कर रहा हो; या

(ii) ऐसे सहायक श्रम आयुक्त के रूप में कृत्य कर रहा हो जिसके पास कम-से-कम दो वर्ष का अनुभव हो; या

(ग) राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को, जो सहायक श्रम आयुक्त से निम्न पंक्ति का न हो और जिसके पास कम-से-कम दो वर्ष का अनुभव हो; या

1947 का 14 (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन या औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के संबंध में उक्त राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के किसी पीठासीन अधिकारी को; या

(ङ) किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अनुभव रखने वाले किसी अन्य अधिकारी को,

किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की या उनको संदत्त मजदूरी में से कटौतियों से या मजदूरी के संदाय में विलंब से उद्भूत हुए सभी दावों की, जिनके अंतर्गत ऐसे दावों के आनुषंगिक सभी मामले भी हैं, सुनवाई करने और उनका विनिश्चय करने के लिए उस क्षेत्र के लिए प्राधिकारी के रूप में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु जहां समुचित सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है वहां वह किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए एक से अधिक प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के वितरण और आबंटन के लिए, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उपबंध कर सकेगी।";

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जब उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन ग्रहण किया गया है तब प्राधिकारी आवेदक की और नियोजक या अन्य व्यक्ति की, जो धारा 3 के अधीन मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी है, सुनवाई करेगा या उन्हें सुनवाई का

अवसर देगा और यदि कोई अतिरिक्त जांच आवश्यक हो तो उसके पश्चात्, किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसका ऐसा नियोजक या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है, नियोजित व्यक्ति को काटी गई रकम का प्रतिदाय करने या उस मजदूरी के, जिसमें विलंब हुआ है, संदाय के साथ ऐसे प्रतिकर का संदाय करने का, जिसे प्राधिकारी उचित समझे और जो पूर्ववर्ती दशा में काटी गई रकम के दस गुने से अनधिक तथा पश्चात्वर्ती दशा में तीन हजार रुपए से अनधिक किन्तु एक हजार पांच सौ रुपए से अन्यून नहीं होगा, निदेश देगा और उस दशा में जिसमें काटी गई रकम या वह मजदूरी जिसमें विलंब हुआ है, आवेदन के निपटाए जाने के पहले संदत्त कर दी गई है तो दो हजार रुपए से अनधिक उतने प्रतिकर के संदाय का जितना प्राधिकारी ठीक समझे, निदेश दे सकेगा:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी दावे का निपटान, जहां तक साध्य हो, प्राधिकारी द्वारा दावे के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा:

परन्तु यह और कि तीन मास की अवधि विस्तारित की जा सकेगी, यदि विवाद के दोनों पक्षकार किसी ऐसे सद्भाविक कारण से सहमत हों, जो प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाए, कि तीन मास की उक्त अवधि ऐसी अवधि के लिए विस्तारित की जाए जो विवाद के न्यायोचित रीति से निपटारे के लिए आवश्यक हो:

परन्तु यह भी कि ऐसी मजदूरी की दशा में जिसमें विलंब हुआ है, प्रतिकर के संदाय के लिए कोई निदेश नहीं दिया जाएगा यदि प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि विलंब—

(क) नियोजित व्यक्ति को संदेय रकम के संबंध में सद्भाविक गलती या सद्भाविक विवाद के कारण हुआ था; अथवा

(ख) किसी आपात के घटित होने या ऐसी असाधारण परिस्थितियों के विद्यमान होने के कारण हुआ था कि वह व्यक्ति जो मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी था, युक्तियुक्त तत्परता बरतने पर भी त्वरित संदाय करने में असमर्थ था; अथवा

(ग) नियोजित व्यक्ति को संदाय के लिए आवेदन करने या संदाय प्रतिगृहीत करने में असफलता के कारण हुआ था;।";

(iii) उपधारा (4) में, "पचास रुपए से अनधिक" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "तीन सौ पचहत्तर रुपए से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 20 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(क) उपधारा (1) में, "जुर्माने से, जो दो सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जुर्माने से, जो एक हजार पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो सात हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने, से जो तीन हजार सात सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखें जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) जो कोई, जिससे अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट या अभिहित करने की अपेक्षा की गई है, ऐसा करने में असफल रहेगा तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।";

(घ) उपधारा (3) में, "जुर्माने से, जो दो सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जुर्माने से, जो एक हजार पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो सात हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (4) में, "जुर्माने से, जो दो सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जुर्माने से, जो एक हजार पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो सात हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (5) में, "जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जुर्माने से, जो तीन हजार सात सौ पचास रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो बाईस हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(छ) उपधारा (6) में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "सात सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 24 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

"24. समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का, ऐसे विषयों की बाबत और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रयोग,—

(क) जहां समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है, वहां केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) जहां समुचित सरकार राज्य सरकार है, वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए,

भी किया जा सकेगा ।"।

धारा 26 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(क) उपधारा (4) में, "जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जो सात सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(7) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखे जाएंगे।"।

राष्ट्रपति ने दि पेमेंट आफ वेजेज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2005 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Payment of Wages (Amendment) Act, 2005 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।
Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—246OLW—12-06-2006.